राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

दिनांक : 23/01/2026

क्रमांक–प.7(1)(3) / रानिआ / 14–15 / 922
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर)

विषय :– पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव– पत्रकारों को प्रवेश– मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द्र पर फोटोग्राफी / विडियोग्राफी का निषेद्य।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 6050 दिनांक 26.01.2000 तथा 7325 दिनांक 07.01.2010 को अधिक्रमित करते हुए पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के सुचारू संचालन, चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान के दिन मतदान केन्द्रों में एवं मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्रों में पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों के प्रवेश की अनुमति के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदत्त करता है कि **जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंषा पर अधिस्वीकृत पत्रकार व अन्य मीडियाकर्मी को स्वयं की संतुष्टि पर मतदान केन्द्रों व मतगणना स्थलों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर सकेंगे। जिला जनसम्पर्क अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रवेश अधिकार पत्र जारी करने के लिए उनके द्वारा की गई अनुशंषा में पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों की संख्या यथोचित मात्रा में हो। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवेश अधिकार पत्र जारी करने की शक्ति किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त नहीं करेंगे।**

प्रवेश पत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगें:–

1. उक्त आदेश में पंचायत मुख्यालय के मतगणना स्थल पर अधिकार पत्र धारित पत्रकारों / फोटोंग्राफरों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई हैं।

2. अधिकार पत्र धारी पत्रकार जब मतदान बूथ के अन्दर जाये तो किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी नहीं करेंगे और न ही मोबाईल फोन ले जा सकेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश नहीं करने दें और भवन से बाहर जाने के लिये निर्देशित कर दे, भले ही ऐसे मीडियाकर्मी के पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

3. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार पत्र धारी कोई भी पत्रकार / कैमरा टीम को विडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाये और न ही उन्हें मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति दी जाये।

4. जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति / जिला परिषद सदस्यों की मतगणना हेतु बनाये गये मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिये एक पृथक कक्ष आरक्षित कर उन्हें वहॉं सभी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये और जब अधिकार पत्र धारी कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना का अवलोकन मतगणना कक्ष में जाकर करना चाहे तो उसे बिना किसी कैमरे या

मोबाईल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने दिया जाये लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसे समय मतगणना कक्ष में उनके साथ उपस्थित रहें ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की व्यवस्था पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो।

5. मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह मतों की गोपनीयता बनाये रखने हेतु और मतगणना की सुचारू व्यवस्था हेतु ऐसे किसी भी मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश होने से रोक देवें जो उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करता हो भले ही उसके पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

6. मतगणना स्थल पर (पं0स0/जि0प0सदस्य चुनाव हेतु) एक समाचार पत्र के लिए एक पत्रकार एवं एक फोटोग्राफर के लिए ही प्रवेश पत्र जारी किए जायें।

7. प्रवेश पत्र जिन पत्रकारों/मीडिया कर्मियों को जारी किये जाये उनके नामों की अनुशंषा विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास चुनाव से 15 दिवस से पहले तक प्राप्त हो जायें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को अवगत कराया जाये और अधिस्वीकृत पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों को मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिये अधिकार पत्र जारी करते समय उक्त शर्तों का उल्लेख भी किया जाये।

भवदीय

23/1/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः— प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14—15/923—929

दिनांक : 23/01/26

1प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई—मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

23.01.2026.

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव